अनवान उमादेवी [illegible]

बनाम

प्र.न. 33/2019

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म
18/10/19	पत्रावली निर्णय वास्ते पेश हुई। वसीयत के सम्बन्ध पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 4FC के मु0नं0 64 = 1.265 है. मु0नं. 65 = 0.759 है. कुल रकबा 2.276 है. नहरी कृषि भूमि नानक राम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार सा0 2FC खातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख है. यह है कि रकबा पैतृक भूमि न होकर स्व: अर्जित है। यह है कि उक्त रकबे पर वारिसान का कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त रकबे रहन नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद में वाद विचाराधीन हैं। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। यह है कि उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/अवाप्त नहीं है. इस कार्यालय के पत्रांक 2157-58 दिनांक 17/9/2019 के द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। जो समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 18/9/2019 के अंक में पृष्ठ संख्या 4 कॉलम संख्या 7 में प्रकाशित हुआ है। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र ~~[illegible]~~ सीमा संदेश में प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुए है. गवाहान श्री कपूरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी शरवसरपाल और कुम्भाराम पुत्र रतिराम जाति बिश्नोई निवासी 2FC मुकम के बयानातानुसार वसीयतकर्ता नानकराम पुत्र रूपाराम द्वारा वसीयत पूरे होश-हवाश में, बिना किसी नशे पते, बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के, पूर्ण स्वस्थचित मन से, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से व अपनी पूर्ण रजामंदी से वसीयत करवाना और मौके पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार होना, मौके पर	

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वसीयतकर्ता नानकराम की धर्मपत्नि केसरदेवी के बयानातानुसार वसीयतकर्ता ने वसीयत अपने जीवनकाल में अपने पुत्रो बलराम, रामप्रकाश के नाम वसीयत पूरे होश-हवाश में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव के, पूर्ण स्वस्थचित मन से, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामंदी से वसीयत करवाना। मौके पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार जरिये मेरे पुत्रो बलराम, रामप्रकाश का है और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरणगत रकबा स्व: अर्जित व खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रकरणगत रकबे पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार है और रहन इत्यादि नहीं है। प्रकरणगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रकरणगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / आवंटित नहीं है। वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 18/9/19 के अंक में प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र सीमा संदेश में प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुये है। गवाहान के बयानातानुसार वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पूरे होश-हवाश में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव / उत्पीड़न के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामंदी से व पूर्ण स्वस्थचित मन से वसीयत करवाना और मौके पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार होना व मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम

A

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(2) LR Act के तहत राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करने हेतु, यदि न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वसीयतानुसार पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरनपुर